

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
नागरिक अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या _____ 2025 की
एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 7851/2023 से उत्पन्न

एम/एस फेरो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा. लि.

...अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

...प्रतिवादी

हेडनोट्स

अनुमति प्रदान की गई - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्वशेष अनुमतत याधचका को स्वीकार कर लिया। 2. मुख्य मुद्दाक्या संवर्वदा की एक शता मध्यस्थ को pendente lite (वर्वर्वाद लंबबत रहने की अवधि में) ब्याज देने से रोकती है, लंबित ब्याज देने के लिए मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र - ठेकेदार को किसी भी बकाया राशि पर ब्याज का दावा करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया। मध्यस्थ का निर्णय - ठेकेदार को ₹1.78 करोड़ की राशि के साथ 15% प्रतिवर्ष ब्याज देने का निर्देश दिया गया। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ब्याज घटाकर 9% कर दिया और अन्य दावों को खारिज कर दिया। निर्णय-सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दावों या शेष राशि पर ब्याज को प्रतिबंधित करने वाले सामान्य खंड की उपस्थिति मात्र से मध्यस्थ को मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत लंबित ब्याज देने से नहीं रोका जा सकता है। इस तरह का ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति वैधानिक है और इसे केवल एक स्पष्ट संविदात्मक प्रावधान द्वारा बाहर रखा जा सकता है जो मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान ब्याज देने के मध्यस्थ के अधिकार को स्पष्ट रूप से नकारता है। न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि मध्यस्थ के पास 1940 अधिनियम के तहत पेंडेंट-लाइट ब्याज देने का अधिकार है, जब तक कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से उस शक्ति को हटा नहीं दिया जाता। यह ऐसे ब्याज पुरस्कारों पर वैधानिक अधिकतम दरें लागू करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

निर्णय

न्यायमूर्ति पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा

1. अनुमति प्रदान की जाती है।
2. "एक मिसाल का पालन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक मिसाल बनाना।"
3. इस अपील में विचार हेतु उत्पन्न संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या वह संविदात्मक शर्त जो अपीलकर्ता/ठेकेदार को किसी भी भुगतान, बकाया या शेष राशि पर ब्याज का दावा करने से रोकती है, मध्यस्थ को पेन्डेन्टी लाइटी ब्याज देने की शक्ति पर एक स्पष्ट रोक लगाती है या नहीं, जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940¹ के तहत कानून में है। जबकि मध्यस्थ ने 15% पेन्डेन्टी लाइटी ब्याज प्रदान किया, ...

उसी को जिला न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार के विरुद्ध आपत्तियाँ तय करते समय निरस्त कर दिया गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया, जिसे वर्तमान में चुनौती दी गई है। 1940 अधिनियम के अंतर्गत ब्याज देने से संबंधित स्थापित न्यायिक सिद्धांतों और ब्याज के भुगतान को रोकने वाले संविदात्मक प्रावधानों की व्याख्या पर भरोसा करते हुए, हमने इस अपील को स्वीकृत कर लिया है और मध्यस्थ द्वारा निर्धारित राशि पर पेन्डेन्टी लाइटी (विवाद के लंबित रहने की अवधि के दौरान) ब्याज के भुगतान का निर्देश दिया है।

4. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा एक निर्माण कार्य अनुबंध प्रदान किया गया था, और वे एक समझौते में दिनांक 06.02.1988 को प्रविष्ट हुए, जिसमें निम्नलिखित शर्त शामिल थी जो किसी भी समय किसी भी भुगतान, बकाया या शेष राशि पर ब्याज का दावा करने से अपीलकर्ता को रोकती है:

"22. भुगतान :

- (i) ठेकेदार को संबंधित बिल जारी किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें प्रगति मापन से लेकर बिलों के भुगतान तक का रिकॉर्ड शामिल है।
- (ii) सभी सामग्री और कार्य जिनके लिए आंशिक या पूर्ण भुगतान किया गया है, वे सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे, परंतु यह प्रावधान ठेकेदार को अपने खर्च पर सामग्री और कार्यों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता, और न ही यह उसकी जिम्मेदारी को क्षति की भरपाई करने से मुक्त करता है यदि कोई नुकसान होता है, जब तक कि संपूर्ण कार्य पूर्ण होकर सरकार को सौंप नहीं दिया जाता।

ठेकेदार को किसी भी भुगतान, किसी भी बकाया या किसी भी शेष राशि पर, जो किसी भी समय उसके लिए देय हो सकती है, किसी भी ब्याज का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।”

(जोर दिया गया)

5. जब अनुबंध के अंतर्गत विवाद उत्पन्न हुआ, तो अपीलकर्ता ने मध्यस्थता का सहारा लिया और अपना दावा दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 07.03.1995 को एक पंच निर्णय (अरबिट्रल अवार्ड) पारित हुआ, जिसमें रु. 1,78,17,146 की राशि अपीलकर्ता के पक्ष में दी गई। मध्यस्थ ने बकाया राशि पर 18.12.1991 (जब मध्यस्थ ने संदर्भ स्वीकार किया) से भुगतान की तिथि या डिक्री की तिथि, जो भी पहले हो, तक 15% प्रति वर्ष ब्याज देने का निर्देश भी दिया। प्रतिवादी ने इस पुरस्कार को निरस्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे जिला न्यायाधीश ने दिनांक 16.08.2005 को यह कहते हुए निर्णय दिया कि केवल मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज को निरस्त किया जाता है और उसकी जगह मुख्य राशि पर 9% साधारण ब्याज उस तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक दिया जाएगा। पुरस्कार के विरुद्ध अन्य आपत्तियाँ खारिज

कर दी गई और शेष पुरस्कार को बरकरार रखा गया। यह माना गया कि मध्यस्थ ने यह नहीं माना कि अनुबंध की धारा 22 व्यापक रूप से शब्दबद्ध है और अपीलकर्ता को किसी भी समय ब्याज का दावा करने से रोकती है। दोनों पक्षों ने इस आदेश के विरुद्ध अपीलें दायर कीं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.01.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसे वर्तमान में चुनौती दी गई है।

6. जब 24.04.2023 को वर्तमान विशेष अनुमति याचिका, जिसे एक सिविल अपील में परिवर्तित किया गया, पर नोटिस जारी किया गया, तब इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“1. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णय **Reliance Cellulose Products Ltd बनाम Oil and Natural Gas Corporation Limited**² के अनुच्छेद 24 पर भरोसा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि समझौते की धारा 22 स्पष्ट रूप से मध्यस्थ को ‘पेंडेंटे लाइट’ ब्याज देने की शक्ति को न तो बाहर करती है और न ही दावा करने वाले को मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान ‘पेंडेंटे लाइट’ ब्याज मांगने से रोकती है।

2. चार सप्ताह में नोटिस वापसी योग्य जारी किया जाए।”

7. हमने श्री विनायक मेहरोत्रा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, और राज्य की ओर से श्रीमती संस्कृति पाठक, अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस मुद्दे पर सुना कि क्या धारा 22 मध्यस्थ को 1940 अधिनियम के अंतर्गत ‘पेंडेंटे लाइट’ ब्याज देने से रोकती है।

7.1 श्री मेहरोत्रा प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला इस न्यायालय के Reliance Cellulose (उपर्युक्त) निर्णय द्वारा आवृत है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में संविदात्मक धारा स्पष्ट रूप से मध्यस्थ को पंच निर्णय राशि पर ब्याज देने से नहीं रोकती है। उन्होंने इस न्यायालय

के Pam Developments Private Limited v. State of West Bengal³ मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है।

7.2 दूसरी ओर, श्रीमती पाठक ने संविदात्मक (contractual) प्रावधान की व्याख्या के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रथम, आउस्टर क्लॉज (ouster clause) की व्याख्या 1940 अधिनियम और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996⁴ ("1996 अधिनियम") दोनों के तहत समान है। दोनों विधियों के अंतर्गत, मध्यस्थ ब्याज प्रदान कर सकता है जब तक कि समझौते में अन्यथा प्रावधान न हो। इन दोनों अधिनियमों के बीच मुख्य अंतर यह है कि 1996 अधिनियम की धारा 31(7) में ब्याज प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है, लेकिन यह G.C. Roy⁵ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह मान्यता दी गई कि 1940 अधिनियम के तहत भी मध्यस्थ को ब्याज प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि 1996 अधिनियम की धारा 31(7)(क) में "प्रारंभिक संदर्भ" (pre-reference) और pendente lite ब्याज के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। हालांकि, ये अंतर संविदात्मक प्रावधानों की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालते। द्वितीय, विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए, श्रीमती पाठक ने यह तर्क दिया कि संकीर्ण संविदात्मक प्रावधानों को आउस्टर क्लॉज के रूप में माना गया है, जो मध्यस्थ को pendente lite ब्याज⁶ प्रदान करने से रोकते हैं। तृतीय, उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि...तीसरा, वह यह प्रस्तुत करती हैं कि Reliance Cellulose (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 24 में की गई बात, जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Board of Trustees for the Port of Calcutta v. Engineers-De-Space-Age⁷ पर आधारित है, जिसे कई मामलों में संदिग्ध बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने Union of India v. Ambica Construction⁸ (पहला Ambica मामला) में यह कहा कि Engineers-De-Space-Age में किए गए अवलोकनों को सामान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता

और हर एक संविदात्मक प्रावधान, जो ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, उसकी व्याख्या उसमें प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही की जानी चाहिए। चौथा, वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, उत्तरदाता पहले ही अपीलकर्ता को ₹4.65 करोड़ का भुगतान कर चुका है, जिसमें ₹2.83 करोड़ ब्याज की राशि है। अतः, pendente lite ब्याज का और अधिक पुरस्कार वर्तमान मामले में उचित नहीं है।

8. 1940 अधिनियम और 1996 अधिनियम के तहत ब्याज देने की स्थिति कानून द्वारा अच्छी तरह से स्थापित है। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा G.C. Roy (उपर्युक्त) और N.C. Budharaj⁹ मामलों में यह मान्यता दी गई कि मध्यस्थ को पूर्व संदर्भ (pre-reference), pendente lite और पुरस्कार के बाद के ब्याज (post-award interest) देने का अधिकार है, जब तक कि 1940 अधिनियम के अंतर्गत कोई संविदात्मक रोक (contractual bar¹⁰) न हो। यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या वर्तमान मामले में संविदात्मक रोक मौजूद है।

वर्तमान मामले में यह जांचना है कि क्या संविदा (contract) मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने से रोकती है, जो कि निश्चित रूप से उस संविदात्मक प्रावधान की व्याख्या की मांग करता है।

9. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर यह माना है कि कोई संविदात्मक प्रावधान जो ब्याज के भुगतान को रोकता है, उसकी व्याख्या 1940 अधिनियम और 1996 अधिनियम के तहत भिन्न तरीके से की जाती है। वास्तव में, 1996 अधिनियम के अंतर्गत मामलों का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने 1940 अधिनियम के तहत स्थापित सिद्धांतों पर भरोसा करने में धीमापन दिखाया है, क्योंकि 1996 अधिनियम¹¹ की धारा 31(7) के माध्यम से मध्यस्थ को ब्याज प्रदान करने की विधायी स्वीकृति दी गई है। इस व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर को इस न्यायालय ने Reliance Cellulose (उपर्युक्त) में इस प्रकार स्पष्ट किया:

"24. उपरोक्त संदर्भित निर्णयों के समग्र दृष्टिकोण से यह ज्ञात होता है कि 1940 अधिनियम के अंतर्गत, मध्यस्थ को ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत पूर्व संदर्भ (pre-reference) ब्याज, साथ ही pendente lite और भविष्य के ब्याज (future interest) देने की शक्ति है। हालांकि, वह केवल इस सीमा तक बाध्य है कि पक्षकारों के बीच हुआ कोई समझौता विशेष रूप से पूर्व संदर्भ और/या pendente lite ब्याज देने पर रोक लगा सकता है। चूंकि ब्याज प्रकृति में क्षतिपूरक (compensatory) है और यह इस बात पर आधारित है कि मूल राशि समय पर नहीं चुकाई गई, इस न्यायालय ने उन प्रावधानों को अस्वीकार किया है जो ब्याज के भुगतान को रोकते हैं। इसने ऐसे प्रावधानों की कठोर व्याख्या की आवश्यकता की परिकल्पना की है, और यह स्पष्ट किया है कि जब तक मध्यस्थ द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर स्पष्ट और विशेष रोक न हो, तब तक ऐसे प्रावधान जो केवल सामान्य दावों या विवादों का उल्लेख करते हैं, उन्हें बाधा नहीं माना जा सकता।" पक्षकारों द्वारा ब्याज के भुगतान पर स्पष्ट रोक लगाने वाले प्रावधान pre-reference या pendente lite ब्याज देने से मध्यस्थ को नहीं रोक सकते। अतः, जब Second Ambica Construction मामले में प्रयुक्त प्रावधान की तुलना Tehri Hydro Development Corporation Ltd. के प्रावधान से की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक कोई ठेकेदार यह सहमत न हो कि ब्याज का कोई दावा न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही भुगतान किया जाएगा, चाहे वह विवाद, अंतर, या पक्षकारों के बीच किसी गलतफहमी के कारण हो, या अभियंता द्वारा भुगतान में देरी या किसी भी अन्य कारण से हो, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि ब्याज के भुगतान पर स्पष्ट रोक है। यदि कोई प्रावधान केवल यह कहता है कि "ठेके के अंतर्गत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा", तो यह 1940 अधिनियम के अंतर्गत pendente lite ब्याज देने से मध्यस्थ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि First Ambica Construction मामले में माना गया है, pendente lite ब्याज देने की अनुमति उस भाषा पर निर्भर करती है जो समझौते में प्रयोग की गई है, जैसे कि मध्यस्थता की शक्ति देने वाले प्रावधान, दावा और विवाद की प्रकृति जो मध्यस्थ को भेजे गए हैं, और किन बिंदुओं पर ब्याज देने की शक्ति छीनी गई है और किस अवधि के लिए। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि धारा 31(7) के अंतर्गत जो स्थिति 1996 अधिनियम में व्याख्यायित की गई है, वह पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि धारा 31(7) यह मान्यता देती

है कि यदि समझौता कुछ अलग नहीं कहता, तो ब्याज का भुगतान उस तिथि से देय होता है जब कारण उत्पन्न हुआ, और यह तब तक जारी रहता है जब तक पुरस्कार नहीं दिया जाता।

10. व्याख्यात्मक दृष्टिकोण में अंतर को इस प्रकार समझाया जा सकता है:

1940 अधिनियम के अंतर्गत, एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें यह अपेक्षित है कि ब्याज के भुगतान पर रोक लगाने वाला प्रावधान स्पष्ट और विशेष रूप से लिखा हो — चाहे वह विवाद, अंतर, गलतफहमी, भुगतान में देरी या किसी भी अन्य स्थिति में हो — ताकि यह माना जा सके कि ब्याज के भुगतान पर रोक है।

मध्यस्थ को ब्याज देने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक ऐसा प्रावधान जो केवल यह कहे कि "ठेके के अंतर्गत देय राशियों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा", पर्याप्त नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, 1996 अधिनियम के अंतर्गत धारा 31(7)(a) के अनुसार, जो पक्षकारों की स्वतंत्रता को मान्यता देती है, यदि अनुबंध कुछ और कहता है तो उसी क्षण से ब्याज देय नहीं होता। इस भिन्नता की पुष्टि इस न्यायालय ने हाल ही में Pam Developments (supra) के एक निर्णय में की है, जिसमें विधि की स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में बताया गया है:

"23. मध्यस्थ को pre-reference interest, pendente lite interest, और post-award interest देने की शक्ति धारा 31(7) के अंतर्गत विधिपूर्वक स्थापित है।

न्यायिक निर्णयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत विधिक स्थिति में क्या अंतर है। इन मामलों से निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

23.1. Arbitration Act, 1940 के तहत, कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था जो मध्यस्थ को ब्याज देने का अधिकार देता हो। हालांकि, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि मध्यस्थ को pre-reference, pendente lite, और post-award ब्याज देने की शक्ति है, इस आधार पर कि यदि किसी व्यक्ति को उस धनराशि के प्रयोग से वंचित किया गया है जिसका उसे वैध रूप से अधिकार है, तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार है। जब अनुबंध ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता और कोई पक्ष

ब्याज की मांग करता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अनुबंध की एक निहित शर्त है, और इसलिए, मध्यस्थ को इसे तय करने की शक्ति है।

23.2. 1940 अधिनियम के अंतर्गत, इस न्यायालय ने उन संविदात्मक प्रावधानों की कठोर व्याख्या अपनाई है जो ब्याज देने पर रोक लगाते हैं, और यह निर्णय दिया है कि जब तक कोई स्पष्ट रोक नहीं है, तब तक मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति प्राप्त है।

23.3. 1996 अधिनियम के अंतर्गत, मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति धारा 31(7) में दी गई वैधानिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रावधान के दो भाग हैं। उपधारा (a) के अंतर्गत, मध्यस्थ उस अवधि के लिए ब्याज दे सकता है जो कारण कार्रवाई (cause of action) की तारीख से लेकर पुरस्कार (award) की तारीख तक की हो, जब तक कि पक्षकारों के बीच कोई अन्य सहमति न हो। उपधारा (b) यह प्रदान करती है कि जब तक पुरस्कार कुछ और न कहे, मध्यस्थीय पुरस्कार के अंतर्गत देय राशि पर पुरस्कार की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक वर्तमान ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज देय होगा।

23.4. धारा 31(7)(a) की भाषा 1940 के मध्यस्थता अधिनियम से दो प्रमुख तरीकों से भिन्न है: पहला, यह pre-reference और pendente lite ब्याज के बीच स्पष्ट अंतर नहीं करती क्योंकि दोनों को इस उपधारा में शामिल किया गया है; दूसरा, यह पक्षकारों की स्वतंत्रता को मान्यता देती है और यह कहती है कि यदि समझौता ब्याज भुगतान पर रोक लगाता है, तो उसी क्षण से pre-reference और pendente lite ब्याज देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, भले ही उसमें मध्यस्थ को स्पष्ट रूप से बाहर न किया गया हो।

23.5. यदि समझौता यह नहीं कहता कि ब्याज दिया जा सकता है या नहीं, या उसमें ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इसे निषिद्ध करता हो, तब pre-reference और pendente lite ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति बाधित नहीं होती।

23.6. Pendente lite ब्याज प्रक्रिया संबंधी कानून (procedural law) के अधीन आता है, जबकि pre-reference ब्याज को ठोस कानून (substantive law) नियंत्रित करता है।

इसलिए, pre-reference ब्याज केवल धारा 31(7)(a) (जो प्रक्रिया संबंधी कानून है) के आधार पर नहीं दिया जा सकता। बल्कि यह या तो पक्षकारों के बीच हुए समझौते (प्रत्यक्ष या परोक्ष), वैधानिक प्रावधान (जैसे ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3), या व्यापारिक प्रचलन (mercantile usage) पर आधारित होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

11. इस चरण पर, हम पाते हैं कि यह आवश्यक है कि हम सुश्री पाठक की इस प्रस्तुति से निपटें कि Reliance Cellulose (उपर्युक्त) ने Engineers-De... पर भरोसा किया है।

Space-Age (उपरोक्त) निर्णय को बाद में First Ambica मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सीमित किया गया और स्पष्ट किया गया। Reliance Cellulose (उपरोक्त) को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय ने मध्यस्थीय पुरस्कारों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित मामले में न्यायिक निर्णयों का व्यापक अध्ययन किया, जिसमें First Ambica¹² मामले की विस्तृत चर्चा भी शामिल थी, जिसके बाद ऊपर दिए गए कानूनी निष्कर्षों को तैयार किया गया।

12. First Ambica मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि Engineers-De-Space-Age (उपरोक्त) और Madnani Construction¹³ को सही ढंग से निर्णयित¹⁴ किया गया था या नहीं।

विभिन्न संविदात्मक धाराओं की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, जो ब्याज भुगतान को रोकती हैं, और 1940 अधिनियम तथा 1996 अधिनियम के अंतर्गत इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, न्यायालय ने उनके निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित किया:

"28. उपरोक्त में संदर्भित विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि G.C. Roy में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि समझौते में स्पष्ट रूप से यह कहा गया हो कि देय राशि पर कोई pendente lite ब्याज देय नहीं होगा, तो मध्यस्थ को ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है। N.C. Budharaj में संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि यदि मध्यस्थता समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ब्याज के दावे पर विचार करने की मध्यस्थ की शक्ति को स्पष्ट रूप से बाहर करता हो, तो सभी अवधियों पर ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति अधिनियम की धारा 29 के अधीन होगी।

Hindustan Construction Co. Ltd. में इस न्यायालय ने G.C. Roy में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया है।"

Roy के निर्णय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 34 के सिद्धांतों के अनुसार, मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने की शक्ति प्राप्त होगी। B.N. Agarwalla मामले में, इस न्यायालय ने G.C. Roy और Hindustan Construction Co. Ltd. का फिर से अनुसरण किया और यह माना कि मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने की शक्ति है और वह ब्याज प्रदान कर सकता है। Harish Chandra मामले में, न्यायालय ने क्लॉज 1.9 की व्याख्या की, जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा किसी भी राशि या बकाया पर ब्याज या हर्जाने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने यह माना कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे ठेकेदार के खिलाफ यह कहकर लागू किया जा सके कि वह मध्यस्थ के समक्ष ब्याज या हर्जाने का दावा न करे, जब तक कि मामला मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया गया हो। Ferro Concrete Construction (P) Ltd. में न्यायालय ने क्लॉज 4 पर विचार किया, जिसमें यह शर्त थी कि समझौते के अंतर्गत रोकी गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह माना गया कि क्लॉज 4, जो दरों, सामग्री और कार्यmanship से संबंधित था, ठेकेदार के दावे पर मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने से नहीं रोकता था। Sayeed Ahmed मामले में, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ब्याज दिए जाने का निर्णय समझौते में प्रयुक्त शर्त की प्रकृति पर निर्भर करेगा। Bright Power Projects (India) (P) Ltd. में न्यायालय ने धारा 31(7)(a) में प्रयुक्त वाक्यांश "यदि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" की व्याख्या की और कहा कि यदि अनुबंध में ब्याज के दावे पर रोक है, तो ठेकेदार दावा नहीं कर सकता। धारा 31(7)(a) का प्रावधान मध्यस्थ पर बाध्यकारी है। Sree Kamatchi Amman Constructions में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया।

इसके बाद न्यायालय ने Engineers-De-Space-Age (उपरोक्त) और Madnani Construction (उपरोक्त) की सही व्याख्या को लेकर Sayeed Ahmed (उपरोक्त) और Tehri Hydro Construction में उठाए गए संदेहों पर ध्यान दिया। Development Corpn. Ltd. बनाम Jai

Prakash Associates Ltd.¹⁵ के मामले में, यह आधार रखा गया कि वे अनुबंध¹⁶ में स्पष्ट रोक के बावजूद मध्यस्थ को ब्याज देने की अनुमति देते हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए, इस न्यायालय ने First Ambica मामले (supra) में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"32. Engineers-De-Space-Age के अनुच्छेद 4 में इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि अनुबंध के अंतर्गत लगी रोक मध्यस्थ पर लागू नहीं होगी, यह सामान्य स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता। हमारी राय में, यह प्रत्येक मामले में अनुबंध में की गई शर्त पर निर्भर करेगा कि क्या pendente lite ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है। यदि इसका उत्तर "हाँ" है, तो मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं होगी।

33. Madnani Construction Corporation के निर्णय ने Engineers-De-Space-Age के निर्णय का अनुसरण किया। हालाँकि, इसे इस हद तक सीमित किया गया कि अनुबंध की स्पष्ट शर्तें मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने से रोक सकती हैं। Pendente lite ब्याज देने की शक्ति कई कारकों पर निर्भर कर सकती है, जैसे: अनुबंध में प्रयुक्त शब्दावली, मध्यस्थता से संबंधित अधिकार देने वाली धाराएं, दावे और विवाद की प्रकृति जो मध्यस्थ को सौंपे गए हैं, और यह कि किन मद्दों पर ब्याज देने की शक्ति छीनी गई है और किस अवधि के लिए।

34. अतः हमारे अनुसार यदि अनुबंध में स्पष्ट रूप से pendente lite ब्याज देने की मनाही है, तो मध्यस्थ इसे नहीं दे सकता। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विलंबित भुगतान पर ब्याज देने से रोक को स्वयं pendente lite ब्याज देने पर रोक नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थ ट्रिब्यूनल की शक्ति को खत्म करने वाली शर्त न हो। मध्यस्थ की शक्ति की समाप्ति को विभिन्न प्रासंगिक कारकों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

13. ऊपर उद्धृत अनुच्छेदों से, First Ambica मामले (supra) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति प्रत्येक मामले में अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगी, और यह भी देखा जाएगा कि क्या वह शर्त स्पष्ट रूप से मध्यस्थ की pendent lite ब्याज देने की शक्ति को समाप्त करती है। यह निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि: अनुबंध की भाषा कैसी है, कौन सी धाराएं मध्यस्थता से संबंधित शक्तियाँ प्रदान करती हैं, मध्यस्थ को कौन-से दावे और विवाद सौंपे गए हैं, और किन मद्दों पर ब्याज देने की शक्ति अनुबंध द्वारा रोकी गई है तथा किस अवधि के लिए। इसके अतिरिक्त, यदि केवल विलंबित भुगतान पर ब्याज देने से मना किया गया है, तो इसे pendent lite ब्याज देने पर स्पष्ट रोक के रूप में आसानी से नहीं माना जा सकता।

14. हमें यह ज्ञात हुआ कि Reliance Cellulose (supra) के अनुच्छेद 24 में जो विधिक स्थिति बताई गई है, वह First Ambica मामले में बताए गए विधिक सिद्धांत के अनुरूप है। दोनों निर्णय इस बात पर जोर देते हैं कि pendent lite ब्याज के भुगतान पर स्पष्ट अनुबंधीय रोक होनी चाहिए, तभी उसे मध्यस्थ द्वारा ब्याज देने पर रोक के रूप में समझा जा सकता है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थ की शक्ति पर कोई रोक अनुबंधीय शर्त की भाषा पर निर्भर करेगी। इस संदर्भ में, सुश्री पाठक द्वारा Reliance Cellulose (supra) की वैधता पर की गई प्रस्तुति को अस्वीकार किया जाना चाहिए। जब किसी विधिक स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया और अनुसरण किया गया हो, तो उसे बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। केवल एक मिसाल स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका पालन करना और उसे लागू करना भी उतना ही आवश्यक है।

15. अब जबकि हमने इस मामले में लागू विधि को स्पष्ट कर दिया है, हम अनुबंध की धारा 22 की शर्तों पर विचार करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वह मध्यस्थ को pendent lite ब्याज प्रदान करने से रोकती है। धारा 22, अपीलकर्ता (ठेकेदार) को किसी भी भुगतान, बकाया या शेष राशि पर किसी भी समय ब्याज का दावा करने से रोकती है। ऊपर उल्लिखित विधि को लागू करते हुए, हमें लगता है कि यह धारा स्पष्ट रूप से pendent lite

ब्याज के प्रदान करने पर रोक नहीं लगाती, जब पक्षों के बीच विवाद, मतभेद या गलतफहमियां हों, या भुगतान में देरी हो, या किसी अन्य कारण से। 1940 अधिनियम के अंतर्गत, इस न्यायालय ने सामान्यतः ऐसी धाराओं से यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति पर रोक है, जो केवल ठेकेदार को ब्याज का दावा करने से रोकती हैं। यही बात इस मामले में भी लागू होगी।

16. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के एसबीसीएमए में दिए गए विवादित निर्णय को निरस्त करते हैं। संख्या 3175/2006 दिनांक 06.01.2023। यह देखते हुए कि मध्यस्थ ने 1991 में संदर्भ स्वीकार किया और पुरस्कार 1995 में दिया गया, मुकदमेबाज़ी में समय बीतने और प्रतिवादी द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि (जिसमें पुरस्कार के बाद का 9% ब्याज शामिल है) को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित मानते हैं कि pendent lite ब्याज 9% की दर से दिया जाए, न कि 15% जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया था। यह ब्याज 18.12.1991 से 07.03.1995 (यानी मध्यस्थ पुरस्कार की तिथि तक) की अवधि के लिए दिया जाएगा, और इसे 60 दिनों की अवधि के भीतर अदा किया जाना होगा। जैसा कि ये कार्यवाही 1940 अधिनियम के अंतर्गत आती है, इसलिए न्यायालय की अधिकारिता और क्षेत्राधिकार, पुरस्कार को संशोधित करने या बदलने की दृष्टि से, 1996 अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय की तुलना में व्यापक है।¹⁷

17. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

18. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उन्हें समाप्त किया जाता है।

न्यायमूर्ति:

[पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा]

न्यायमूर्ति:

[जॉयमाल्य बागची]

नई दिल्ली;

02 अप्रैल, 2025

¹ आगे "1940 अधिनियम" के रूप में संदर्भित।

²(2018) 9 SCC 266

³(2024) 10 SCC 715, para 23.

⁴ Hereinafter "1996 Act".

⁵ Secretary,Irrigation Department, Government of Orissa v. G.C. Roy,(1992) 1 SCC 508.

⁶ Replied on M.B. Patel & Co.v. ONGC, (2008) 8 SCC 251, Union of India v. Krafters Engg. & Leasing (P) Ltd.,(2011) 7 SCC 279 under the 1940 Act.

⁷(1996) 1 SCC 516

⁸(2016) 6 SCC 36

⁹ Executive Engineer,Dhekanal Minor Irrigation v. Division v. N.C. Budharaj,(2001) 2 SCC 721.

¹⁰ GC Roy (supra),para 45

¹¹Sayeed Ahmed & Co.v. State of U.P.,(2009) 12 SCC 26, para 24; Sree Kamatchi Amman Constructions v. Railways,(2010) 8 SCC 767, paras 18-19; Union of India v. Bright Power Projects(India) (P) Ltd.,(2015) 9 SCC 695,paras 17-19; Chittaranjan Maity v. Union of india, (2017) 9 SCC 611, para 16; Garg Builders v. BHEL,(2022) 11 SCC 697,para 17.

¹² Reliance Cellulose (supra),paras 19-20

¹³ Madnani Construction Corpn. (P) Ltd. v. Union of India,(2010) 1 SCC 549

¹⁴ First Ambica case (supra),para 1.

¹⁵(2012) 12 SCC 10.

¹⁶ First Ambica case (supra),paras 29-31

¹⁷ As these proceedings arise under the 1940 Act, the scope and jurisdiction of the Court to modify or vary the award is larger than of the court exercising jurisdiction under Section 34 of the 1996 Act.